

संपादकीय  
आरक्षण और योग्यता

बीट पीजी परीक्षा में आरक्षण को दो सप्ताह पूर्व झड़ी दे युके सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की ताकिंक व्याख्या व्याप्ति संदर्भ में की है। दरअसल, इस फैसले में देखी की वजह से जूनियर डाक्टरों ने दिल्ली में व्यापक आंदोलन किया था। उन्होंने बाद सात जनवरी को एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बीट पीजी में 27 फोरसाई ओबीसी और दस फीसदी ईडब्ल्यूएस कोटे को मंजूरी दे दी थी। लेकिन कोट ने तब अपने फैसले की ताकिंक व्याख्या नहीं की थी। अब कोट ने आरक्षण की सामिजिक व्याया की अवधारणा समेत तमाम सवालों के जवाब देने का प्रयास किया। सभसे महत्वपूर्ण यह कि योग्यता को प्रतियोगी परीक्षा के नीतीजे की संकीर्ण परिभाषा तक सीमित नहीं रखा जा सकता क्योंकि इन परीक्षाओं से अवसर की औपचारिक समाप्ति ही हसिल होती है। कोट ने कहा कि आरक्षण और योग्यता में कोई अंतर्विवरण नहीं है बल्कि आरक्षण सामिजिक व्याख्या की अवधारणा को पृष्ठ करके योग्यता का संवर्धन ही करता है। दरअसल, व्यायमूर्ति डीवाई ईंटर्नशूल और व्यायमूर्ति एप्स बोप्पा की पीठ का मानव था कि साकत हो जावे से किसी व्यक्ति की सामिजिक व अर्थिक स्थिति नहीं बदल जाती। उनकी कमज़ोर पृष्ठभूमि के महेनजर आरक्षण देने की ज़रूरत महसूस होती है। साथ ही यह भी तर्क दिया कि जब अन्य सातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण लागू है तो नीट में भी दिया जाना चाहिए। दरअसल, अंदालत का मानव था कि योग्यता व आरक्षण परस्पर विरोधी नहीं हैं। महज प्रतियोगी परीक्षा के ही अंकों को योग्यता का मापदंड नहीं माना जा सकता। उसे सामिजिक रूप से भी प्रासांगिक बनाने की ज़रूरत है। अंदालत ने सिविल निर्माताओं की आरक्षण अवधारणा को पृष्ठ करते हुए कहा कि देश में पिछड़ापन दूर करने के लिये आरक्षण देना प्रासांगिक है। अपवाद को स्वीकार करते हुए अंदालत का मानव था कि संभव है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पिछड़े होते हुए भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हों, लेकिन व्यापक अर्थों में आरक्षण की ताकिंकता को नकारा नहीं जा सकता।

दरअसल, कोट की यह व्याख्या इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि ओबीसी आरक्षण व अर्थिक आधार पर आरक्षण का मामला अंदालत में विचाराधीन होने के बावजूद केंद्रीय परीक्षाओं में इने लागू करने के लिये अब अंदालत की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती। दरअसल, अंदालत में आरक्षण से जुड़े कई मामलों में योग्यिक बायार की गई थी। इसमें ईडब्ल्यूएस कोट का लाभ अठ लाख से कम सालाना आय वालों को दिये जाने के अधार पर सवाल खड़े किये गये थे। दिलील दी गई थी कि इनकी आय वाला परिवार अर्थिक रूप से पिछड़ा होनी ही सकता। इस बाबत केंद्र ने कोट को बताया था कि यह मानक ताकिंक है। साथ ही कोट ने यह भी कहा कि सरकार ने नीट पीजी की काउंसिलिंग से पहले आरक्षण लागू कर दिया था, ऐसे में यह नियम विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। साथ की पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में अंदालत को पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नीट पीजी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है। इसी क्रम में कोट ने योग्यता व आरक्षण के मुद्दे पर व्यापक दृष्टि को परिभ्रान्ति भी किया। कोट का मानव था कि कोई परीक्षा व्यक्ति की वर्तमान सक्षमता को ही दर्शाती है, उसकी क्षमताओं, उत्कृष्टता व सामर्थ्य को पूरी तरह परिभ्रान्ति नहीं करती। इसको समझ देने में अनुभव, बाद का प्रशिक्षण और व्यक्ति गत चरित्र की भी भूमिका होती है। इसके साथ ही मानवीय मूल्यों को जोड़कर अंदालत ने दिप्पी की किंतु अंक हासिल करने वाला उम्मीदवार यदि अपनी प्रतिमा का उपर्योग अच्छे कार्य करवे के लिये नहीं करता तो उसे नेतृत्वी नहीं कहा जा सकता। वैसे योग्यता एक सामाजिक अच्छाई है और इसका संरक्षण ज़रूरी है। वहीं व्यायालाल का सप्त मानव था कि इस मामले में व्यायालाल हस्तक्षेप दे इस साल की प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया में देखी हो सकती थी। सभसे महत्वपूर्ण बात यह कि देश इस समय महामारी की घुसीती से ज़दा रहा है और देश को अधिक डॉक्टरों की ज़रूरत है। कुल मिलाकर अंदालत ने योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासांगिक बनाने पर बल दिया।

## भारतीय डिजिटल अवसंरचना में 2025 तक 23 अरब डॉलर निवेश की ज़रूरत

नईदिल्ली। देश में डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग और ऑफलाइन उपयोग को समर्थन देने के लिए डिजिटल अवसंरचना क्षेत्र में 2025 तक 23 अरब डॉलर तक के निवेश की

ने कहा, “स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत अग्रिम है। हमारा ई-कॉर्मस बाजार 2025 तक 23 अरब डॉलर का होगा, और शिक्षा प्रौद्योगिकी बाजार 12 अरब डॉलर का हो जाएगा।”

उहाँने आगे कहा कि भारत डिजिटल नवाचार कर रहा है और इस क्रांति के लिए आरक्षण अवसंरचना की ज़रूरत है। टॉकर कंपनियां खुद को डिजिटल अवसंरचना की परिवर्तनों में बदल रही हैं। बायर कंपनियां खुद को डिजिटल अवसंरचना की परिवर्तनों में बदल रही हैं। इसके लिए अगले 3-5 वर्ष में 23 अरब अमेरिकी डॉलर तक के निवेश की आवश्यकता होगी।

इवाई के लीडर प्रशांत सिंघल



एशियाई कप 2022 का रूप ए

का मैच रद्द होने के बाद कोरोना

महामारी के बीच एफीसी

प्रतियोगिताओं पर लागू विशेष

नियमों की धारा 4.1 के

अनुसार मानव जायेगा।

एफीसी ने कहा, “चीनी

ताइपे और भारत के बीच महिला

क्रिकेट टीम की सभी टीमों

के बीच अंतिम तुलना में

किसी पक्षपाता की संभावना

से बचने के लिये रूप बी और

सीपी मैच अब रद्द माने जायेंगे।

इसमें यह भी कहा गया कि

भारत ने यह जायेगा।

भारत का ईरान के खिलाफ दुआ एक मात्र मैच अब ग्रुप की अंतिम तालिका तैयार करते समय गिना नहीं जायेगा।

भारत ग्रुप ए में चीन, चीनी ताइपे और ईरान के साथ था। अब इस रूप में तीन ही टीमें मानी जायेंगी।

बयान में कहा गया, “‘तीसरे स्थान की सभी टीमों के बीच अंतिम तुलना में

किसी पक्षपाता की संभावना

से बचने के लिये रूप बी और

सीपी मैच अब रद्द माने जायेंगे।

बयान में कहा गया, “‘भारत के

तीसरे स्थान की सभी टीमों

के बीच अंतिम तुलना में

किसी पक्षपाता की संभावना

से बचने के लिये रूप बी और

सीपी मैच अब रद्द माने जायेंगे।

इसमें यह भी कहा गया कि

भारत ने यह जायेगा।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभलामी बल्लेबाज स्मृति मांधना को आईसीसी ने साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है।

आईसीसी ने सोमवार को बयान जारी कर इस बात का ऐलान किया। आईसीसी ने सोमवार को बयान जारी कर इस बात का ऐलान किया।

बनामी ने बीते साल खेल के

तीसरे स्थान की सभी टीमों

के बीच अंतिम तुलना में

किसी पक्षपाता की संभावना

से बचने के लिये रूप बी और

सीपी मैच अब रद्द माने जायेंगे।

इसमें यह भी कहा गया कि

भारत ने यह जायेगा।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभलामी बल्लेबाज स्मृति मांधना को आईसीसी ने साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है।

आईसीसी ने सोमवार को बयान जारी कर इस बात का ऐलान किया।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभलामी बल्लेबाज स्मृति मांधना को आईसीसी ने साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है।

आईसीसी ने सोमवार को बयान जारी कर इस बात का ऐलान किया।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभलामी बल्लेबाज स्मृति मांधना को आईसीसी ने साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है।

आईसीसी ने सोमवार को बयान जारी कर इस बात का ऐलान किया।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभलामी बल्लेबाज स्मृति मांधना को आईसीसी ने साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है।

आईसीसी ने सोमवार को बयान जारी कर इस बात का ऐलान किया।